उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–1825–औ0सं0 / 2020–11(02)ए0एस0 / 20 — दिनांक 20 जुलाई, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
मध्याँचल / पश्चिमाँचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को,
लखनऊ / मेरठ / वाराणसी / आगरा / कानपुर।

ई–मेल / अति आवश्यक

विषयः– निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित कोविड–19 चिकित्सालयों के प्राइवेट कक्ष में विशिष्ट दरों पर इलाज की अस्थायी अनुमति दिऐ जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन द्वारा जांरी शासनादेश संख्या–917/71/4–2020 दिनांक 10.07.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट कक्ष हेतु दरों का निर्धारण करते हुए निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित कोविड–19 चिकित्सालयों के रिक्त कक्षों / प्राइवेट वार्ड में विशिष्ट दरों पर इलाज की अस्थायी अनुमति की शर्तें / प्रतिबन्ध जारी किये गये है।

उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन द्वारा कोविड–19 संक्रमित अधिकारियों / कार्मिकों / पेंशनर्स के चिकित्सालयों में इलाज के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश संख्या–1550–औ0सं0 / 2020–11(02)ए0एस0 / 20 दिनांक 22.06.2020 द्वारा एल–1, एल–2 एवं एल–3 चिकित्सालयों में इलाज हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित चिकित्सालय स्वतः सम्मलित माने जायेंगे।

अतः शासनादेश संख्या–917/71/4–2020 दिनांक 10.07.2020 के दृष्टिगत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित कोविड–19 चिकित्सालयों में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं उसके सहयोगी डिस्काम एवं केस्को के कोविड–19 संक्रमित कार्मिकों / पेंशनर्स, उनके आश्रित, पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा भर्ती होकर कराये गये उपचार में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति शासनादेश संख्या–917/71/4–2020 दिनांक 10.07.2020 द्वारा निर्धारित दरों, शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–1825–औ0सं0 / 2020, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उ0नि0लि0, 8वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) / (वितरण) / (वित्त / (वाणिज्य) / (कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

क्रमशः....2..../–

7. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (मा0सं0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
12. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/ मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक/ उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,।
14. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उ0नि0लि0, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

20.7.2020

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

20.7.20

संख्या–917/71–4–2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 10 जुलाई, 2020

विषयः– निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित कोविड–19 चिकित्सालयों के प्राइवेट कक्ष में विशिष्ट दरों पर इलाज की अस्थायी अनुमति दिए जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एमई–1/2020/2180 दिनांक 26.06.2020 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के प्रबंधन द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा है कि उनकी संस्था के अन्तर्गत संचालित डेडिकेटेड कोविड–19 चिकित्सालयों के प्राइवेट कक्ष में विशिष्ट दरों पर कोविड–19 संक्रमित रोगियों के इलाज की अनुमति प्रदान की जाए।

2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि डेडिकेटेड कोविड–19 चिकित्सालयों में कोरोना बेड्स के राज्य स्तरीय अन्तरिम लक्ष्य 10010 बेड्स के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में निर्धारित बेड्स के सापेक्ष मानक के अतिरिक्त भी सरप्लस मैनपावर एवं अन्य अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में रोगियों की अपेक्षाकृत कम संख्या के कारण चिकित्सालय के सम्पूर्ण मैनपावर/अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है जबकि चिकित्सालय के चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय निरन्तर हो रहा है।

3– यह भी अवगत कराया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा निरन्तर यह मांग की जा रही है कि उन्हें कोविड–19 संक्रमण की चिकित्सा हेतु पृथक कक्ष की सुविधा प्रदान की जाय।

4– सम्प्रति निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित डेडिकेटेड कोविड–19 चिकित्सालयों में राज्य सरकार द्वारा रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। शासनादेश संख्या–920/पॉच–6–2020 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा निजी क्षेत्र के अधिसूचित चिकित्सा महाविद्यालयों में कोविड–19 से संक्रमित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के लाभार्थियों से भिन्न रोगियों के उपचार पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा व्यय की गयी धनराशि निर्धारित दरों पर प्रतिपूर्ति, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) हेतु प्राविधानित बजट से किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। वर्तमान व्यवस्था में कोविड–19 से संक्रमित रोगियों का इलाज प्राइवेट कक्ष में नहीं किया जा रहा है।

5– अतएव संस्थाओं में उपलब्ध प्राइवेट कक्ष में विशिष्ट दरों पर कोरोना संक्रमण से ग्रस्त रोगियों के इलाज की अनुमति दिये जाने से न केवल इस संबंध में की जा रही मांग पूरी होगी बल्कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों को भी अतिरिक्त आय

Scanned with CamScanne

प्राप्त हो सकेगी तथा मेडिकल कालेजों की अवस्थापना सुविधाओं एवं मैनपावर का भी सदुपयोग हो सकेगा।

6— चूंकि निजी मेडिकल कालेज की अध्यपेक्षा जिलाधिकारियों द्वारा की गयी है अतएव निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित डेडिकेटेड कोविड—19 चिकित्सालय में विशिष्ट दरों पर कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की भर्ती व इलाज की अनुमति संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

7— अतः इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित डेडिकेटेड कोविड—19 चिकित्सालयों के प्राइवेट कक्ष में विशिष्ट दरों पर कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों का इलाज किये जाने की व्यवस्था अग्रेतर प्रस्तरों में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों की अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

8— प्राइवेट कक्ष हेतु दरों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:—

Hospital rates for per day of admission (in Rs.)			
Category of hospitals	Moderate Sickness	Severe Sickness	Very Severe Sickness
	ISOLATION BEDS Including supportive care and oxygen	ICU without need for ventilator care	ICU with ventilator care (invasive/non-invasive
NABH accredited Hospitals (including entry level)	8,500/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	12,750/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	15,300/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)
Non-NABH accredited Hospitals	6,800/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	11,050/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	12,750/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)

Remarks

1. The Package Rates would be all inclusive and would include, but not confined to, the following: Bed, food, amenities, doctors' consults/visits, nursing care, other manpower, consumables, monitoring, investigations including imaging, all treatment including oxygen, blood transfusion, supportive care, physiotherapy, etc.
2. The Package will include medical management of underlying co-morbid conditions such as hypertension, diabetes, cardiovascular illness, choronic pulmonary/kdincy/hepatic disease etc. This would include emergency management procedures such as acute haemodialysis etc if required
3. Non-invasive ventilation such as HFNC, BiPAP etc
4. The same rates will also apply to pediatric patients.
5. For pregnant women, costs for delivery (normal/C-section) and care of new born would be charged extra as per prevailing PMJAY rates
6. The rates do not include costs for RT-PCR or IL-6 assay. They also do not include the experimental therapies (such as Remdesivir etc)

उक्त दरें 'ए' ग्रेड के शहरों में संचालित मेडिकल कालेजों के लिए अनुमन्य होंगी। 'बी' ग्रेड शहरों में संचालित मेडिकल कालेजों के लिए उक्त दरों के सापेक्ष 80

Scanned with CamScanner

प्रतिशत की दरें अनुमन्य होंगी। 'सी' ग्रेड शहरों में संचालित मेडिकल कालेजों के लिए उक्त दरों के सापेक्ष 60 प्रतिशत की दरें अनुमन्य होंगी।

9— निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित कोविड—19 चिकित्सालयों के रिक्त कक्षों/प्राइवेट वार्ड में उक्त विशिष्ट दरों पर इलाज की अस्थायी अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:—

(i) जिलाधिकारी द्वारा विशिष्ट दरों पर कोविड—19 रोगियों की भर्ती व इलाज की अनुमति दिये जाने के पूर्व जिले में कोविड—19 रोगियों की संख्या, संक्रमण की दर तथा कोविड—19 चिकित्सालयों में बेड्स, मैनपावर तथा अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता का ध्यान रखा जायेगा।

(ii) निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज के अध्यपेक्षित डेडिकेटेड कोविड—19 चिकित्सालयों में विशिष्ट दरों पर इलाज की सुविधा राज्य स्तरीय कोरोना बेड्स के लक्ष्य 10010 के सापेक्ष निर्धारित संस्थागत बेड्स के अधिकतम 10 प्रतिशत कमरों के लिए अनुमन्य होगी। उदाहरणार्थ यदि मेडिकल कालेज में 400 डेडिकेटेड कोविड बेड्स निर्धारित हैं तो अधिकतम 40 बेड्स प्राइवेट वार्ड में विशिष्ट दरों पर इलाज की अनुमति प्रदान की जायेगी। उल्लेखनीय है कि विशिष्ट दरों पर इलाज के बेड्स/प्राइवेट वार्ड पूर्व निर्धारित डेडिकेटेड कोरोना बेड्स के अतिरिक्त होंगे।

(iii) अध्यपेक्षित डेडिकेटेड कोविड—19 चिकित्सालयों में जनरल वार्ड की व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी तथा उसमें भर्ती होने वाले रोगियों को चिकित्सालय द्वारा चिकित्सा सुविधा पूर्ववत् उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

(iv) संबंधित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज द्वारा विशिष्ट दरों पर इलाज हेतु प्राइवेट वार्ड के लिए पृथक से मेडिकल टीम का गठन किया जायेगा। इस प्रकार जनरल वार्ड तथा प्राइवेट वार्ड के लिए पृथक—पृथक मेडिकल टीमें होंगी। जनरल वार्ड में तैनात प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर की तैनाती पूर्ववत् की जाती रहेगी। 10010 बेड्स के सापेक्ष संस्थाओं के लिए निर्धारित बेड्स के सन्दर्भ में उपलब्ध मैनपावर की सूची संस्थाओं द्वारा शासन से नामित विशेष कार्याधिकारी तथा जिलाधिकारियों द्वारा नामित नोडल अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जायेंगी।

(v) अध्यपेक्षित डेडिकेटेड कोविड—19 चिकित्सालयों द्वारा प्राइवेट वार्ड हेतु निर्धारित दरों के उल्लघंन किये जाने अथवा जनरल वार्ड में पूर्व निर्धारित/दिये जा रहे सुविधाओं में किसी प्रकार की कटौती किये जाने की दशा में रू0 1.00 लाख का अर्थदण्ड तथा ली गयी अधिक धनराशि की वसूली संबंधित चिकित्सालय से जिलाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

(vi) दोनों व्यवस्थाओं में कोविड—19 के उपचार से संबंधित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(vii) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या की सूचना शासन द्वारा नामित विशेष कार्याधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित डिप्टी सी0एम0ओ0/ए0सी0एम0ओ0 को उपलब्ध करायी जाएगी।

(viii) उक्त व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था है अतः संस्थाओं द्वारा किसी मानक के उल्लघंन अथवा किसी अन्य आवश्यक स्थिति में जिलाधिकारी अथवा

Scanned with CamScanner

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कभी भी समाप्त की जा सकती है।

(ix) यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कोविड–19 से संक्रमित भर्ती रोगियों की संख्या शासन द्वारा निर्धारित 10010 बेड्स की संख्या के सापेक्ष उस मेडिकल कालेज के लक्ष्य से कम है। रोगियों की संख्या में वृद्धि होने की दशा में उक्त व्यवस्था समाप्त की जा सकेगी।

(x) जिलाधिकारी द्वारा उक्त व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन का पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा इस व्यवस्था को लागू किये जाने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई का निराकरण किया जायेगा।

(xi) शासन द्वारा नामित विशेष कार्याधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित डिप्टी सी0एम0ओ0 / ए0सी0एम0ओ0 स्तर के नोडल आफिसर द्वारा भी उक्त व्यवस्थाओं का अनुपालन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–917/71–4–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्धक, समस्त निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

COVID-19 Go ME-4

Scanned with CamScanne